सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु

NSW में सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु

यह जानकारी मृत्यु और मरने से सम्बन्धित है। यह सांस्कृतिक एवं भाषाई तौर पर विविध समुदायों से आने वाले उन लोगों के लिए है जो सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में जानकारी खोज रहे हैं। आपकी भाषा में जानकारी NSW Health website एनएसडबल्यू हेल्थ की वेबसाइट) पर उपलब्ध है और दुभाषिए आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं।

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु कुछ लोगों और उनके परिवारों के लिए एक संवेदनशील विषय हो सकता है। यह फैसला लेने के लिए कि क्या सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु आपकी मान्यताओं और विचारधाराओं से मेल करती है और यह आपके लिए सही विकल्प है, आप अपने प्रियजनों और समुदाय के साथ बात करना चाह सकते/ती हैं।

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु क्या है?

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु का अर्थ है कि कुछ लोग मृत्यु प्राप्ति हेतु चिकित्सीय सहायता के लिए डॉक्टर से निवेदन कर सकते हैं।

यह हर किसी के लिए नहीं है – आपको पात्रता मानदण्ड पूरा करना होगा और हर पात्र व्यक्ति इसका चयन नहीं करेगा। यह आपका विकल्प है। आप ऐसी दवा का सेवन करते/ती हैं या आपको दी जाती है जिससे आपके द्वारा चुने गए समय और स्थान पर आपकी मृत्यु होती है।

केवल वह डॉक्टर जो अनुमोदित होता है और जिसने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है, वह ही आपको दवा दे सकता है।

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु कौन प्राप्त कर सकता है?

यदि आप सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु का चयन करना चाहते/ती हैं तो यह आवश्यक है कि:

- आपकी आयु 18 साल या इससे अधिक हो। 17 साल और इससे कम आयु के बच्चे पात्र नहीं हैं।
- आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी हों अथवा आप लगातार कम से कम तीन सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों।
- आप कम से कम 12 महीने से NSW में रह रहे हों
- एक ऐसे रोग से ग्रस्त होना जिससे 6 महीनों से कम अवधि या 12 महीनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी यदि आपको कोई न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग है (आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएँ काम करना बंद कर देती हैं या मर जाती हैं)

- एक ऐसे रोग से ग्रस्त हो जिससे आपको बहुत पीड़ा होती हो। यह पीड़ा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या भावनात्मक हो सकती है। आपकी पीड़ा के स्तर को समझने के लिए आपका डॉक्टर आपसे बात करेगा और इस पीड़ा का प्रबंध करने में आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध विकल्पों का विवरण देगा
- पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने खुद के फैसले लेने और इन्हें बताने में सक्षम हों
- सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु लेना चाहते/ती हों। 'इच्छा' का अर्थ है कि यह आवश्यक है कि यह आपका विकल्प हो।

केवल मानसिक रोग या विकलांगता का होना ही पात्र होने का कारण नहीं है। परन्तु, यदि आप सभी उपरोक्त पात्रता मानदण्ड पूरे करते/ती हैं, और आपको विकलाँगता या मानसिक रोग है (महत्वपूर्ण तौर पर, यह आवश्यक है कि आप अपने खुद के फैसले लेने और इन्हें बताने में सक्षम हों), तो आप सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु प्राप्त कर सकते/ती हैं।

आप सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु कैसे प्राप्त कर सकते/ती हैं?

NSW में, ऐसे कानूनी चरण होते हैं जिनका आपको अनुपालन करना होगा। अधिकांश चरणों के लिए, आप अपनी खुद की गति पर पूरी प्रक्रिया के दौरान कदम उठा सकते/ती हैं।

अपने डॉक्टर से सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में पूछकर शुरूआत करें। अधिकांश लोगों के लिए, यह आपका इलाज करने वाली टीम का वह डॉक्टर होगा जो आपके रोग के लिए स्वास्थ्य-देखभाल का ध्यान रखता है।

NSW में केवल कुछ डॉक्टर ही सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु प्रदान कर सकते हैं। आप NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service (सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु देखभाल नेविगेटर सेवा) से संपर्क कर सकते/ती हैं यदि आपका डॉक्टर कहता है कि वह सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा प्रदान नहीं करते हैं। देखभाल नेविगेटर सेवा किसी डॉक्टर का पता लगाने और आपके सवालों के जवाब देने में आपकी सहायता कर सकती है।

आप **अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (TIS National)** को **131 450** पर फोन कर सकते/ती हैं और यदि आपको भाषाई सहायता की ज़रूरत है तो **1300 802 133 पर NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service** से बात करवाने के लिए निवेदन कर सकते/ती हैं।

आपके परिवार, मित्रों और देखभालकर्ताओं की भूमिका

कुछ लोग मृत्यु और एक परिवार के तौर पर एकसाथ मृत्यु प्राप्ति करने के बारे में फैसले लेने का चयन कर सकते हैं।

आप अपने प्रियजनों के साथ यह वार्तालाप करना पसंद कर सकते/ती हैं यदि आपको लगता है कि आप सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु का चयन करना चाहते/ती हैं।

यह महत्वपूर्ण है यदि कोई व्यक्ति आम-तौर पर आपके स्वास्थ्य के बारे में फैसले लेने में आपकी मदद करता है या आपकी ओर से डॉक्टर से बात करता है।

जब आप सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में अपने डॉक्टर से बात करते/ती हैं तो आपके प्रियजन आपके साथ हो सकते हैं, परन्तु कानून में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं:

- मृत्यु प्राप्ति के लिए चिकित्सीय सहायता के लिए केवल आप ही निवेदन कर सकते/ती हैं
- कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके लिए सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन नहीं कर सकता है
- कोई भी आपको सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन करने के लिए विवश नहीं कर सकता है।

कानून कहता है कि चरणों और सुरक्षित-उपायों का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। इससे सुनिश्चित होता है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आप पर सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु का चयन करने के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा है। यह इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि यह आपका विकल्प है।

आपके परिवार में कुछ लोगों को मृत्यु प्राप्ति में चिकित्सीय सहायता के लिए आपके निवेदन के फैसले को समझना कठिन लग सकता है। हो सकता है कि वे आपसे असहमत हों। परन्तु, यदि आप सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु चाहते/ती हैं और आप सभी पात्रता मानदण्डों को पूरा करते/ती हैं तो वे आपको इसतक पहुँचने से रोक नहीं सकते हैं।

लोगों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें।

November 2023 © NSW Ministry of Health

जानने वाली अन्य बातें

- **आप किसी भी समय सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को रोक या बंद कर सकते/ती हैं। आपको कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।**
- भले ही आपको दवा प्रिस्क्राइब की गई हो या मिल चुकी हो, आपको इसका सेवन करने की ज़रूरत नहीं है
- दवा का सेवन करने या इसे दिए जाने का आपका अंतिम फैसला किए जाने से पहले कई दिन, सप्ताह या महीनों का समय लग सकता है और यह सामान्य है
- आप अपने प्रियजनों के साथ घर पर दवा का सेवन कर सकते/ती हैं। यदि आपको अस्पताल या ऐज्ड केयर केन्द्र जैसे किसी अन्य स्थान में दवा का सेवन करने की ज़रूरत है तो भी आपके प्रियजन आपके साथ हो सकते हैं। आप NSW के बाहर दवा का सेवन नहीं कर सकते/ती हैं
- सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा प्रदान करने वाला आपका डॉक्टर और/या फार्मासिस्ट आपको दवा के बारे में और अधिक जानकारी देगा, इसमें यह शामिल है कि इसे कैसे संभाल कर रखा जाता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए नियम लागू हैं
- आपकी निजता और गोपनीयता के अधिकार की सुरक्षा करना डॉक्टरों का दायित्व है। इसमें आपके द्वारा सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में अपने डॉक्टर से की गई कोई चर्चा शामिल है। आपका डॉक्टर आपके निर्णय के बारे में आपके परिवार, मित्रों या देखभालकर्ताओं से बात नहीं कर सकता है बशर्ते कि आप कहते/ती हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं
- Isolated Patients Travel and Accommodation Assistance Scheme (पृथक रोगी यात्रा और आवास सहायता योजना) यात्रा और आवास खर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि आप रिज़नल (क्षेत्रीय) या रिमोट (दूरवर्ती) NSW में रहते/ती हैं तो यह उपलब्ध है
- सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु और आत्महत्या अलग-अलग हैं। मृत्यु प्राप्ति के लिए चिकित्सीय सहायता की मांग करना NSW में कानून के अधीन आत्महत्या **नहीं** है
- आपके मृत्यु प्रमाणपत्र में आपकी मृत्यु का कारण सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

जीवन के अंतिम समय की देखभाल

आप और आपका डॉक्टर भविष्य में आपकी देखभाल के लिए आपकी ज़रूरतों, उम्मीदों और प्राथमिकताओं की चर्चा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसमें यह जानना शामिल है कि आपके जीवन के अंतिम समय में आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं।

NSW की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली आपकी देखभाल करेगी भले ही आप कोई भी विकल्प लें।

यदि आप सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु का चयन करते/ती हैं तो भी आप अन्य देखभाल सेवाएँ पाने में सक्षम हो सकते/ती हैं जिसकी आपको सम्भवत: ज़रूरत हो, जैसे कि प्रशामक देखभाल।

प्रशामक देखभाल के बारे में और अधिक सीखें: health.nsw.gov.au/palliativecare

NSW सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु देखभाल नेविगेटर सेवा (NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service)

देखभाल नेविगेटर सेवा रोगियों और परिवारों सहित हर किसी की सहायता के लिए उपलब्ध है।

यह सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु से जुड़े सवालों का जवाब दे सकती है और ज़रूरत पड़ने पर किसी डॉक्टर का पता लगाने में आपकी मदद कर सकती है। यह प्रक्रिया के सभी चरणों में उपलब्ध है।

देखभाल नेविगेटर सहायता कर्मियों से बात करने के लिए:

1300 802 133 पर फोन करें, सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाश के दिनों के अलावा)

ई-मेल: NSLHD-VADCareNavigator@health.nsw.gov.au

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा तक पहुँच प्राप्त करने के लिए मुझे दुभाषिए की आवश्यकता है। मैं क्या करूँ?

यदि आप अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में बात करना पसंद करते/ती हैं तो आप सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा तक पहुँच प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया की शुरूआत करने के लिए किसी दुभाषिए का प्रयोग कर सकते/ती हैं।

यदि आपको दुभाषिए की ज़रूरत है तो अपने डॉक्टर को बताएँ। आपका डॉक्टर किसी दुभाषिए की व्यवस्था कर सकता है। यह नि:शुल्क सेवा है।

विशेष प्रशिक्षण प्राप्त केवल कुछ लोग ही सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए आपके दुभाषिए बन सकते हैं।

कोई परिजन, मित्र, देखभालकर्ता या संपर्क व्यक्ति जिसे विशेष प्रशिक्षण प्राप्त न हो, वह आपका दुभाषिया नहीं हो सकता है। NSW में कानून के कारण ऐसा है।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता

मृत्यु और सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में बात करना कठिन और उदासीभरा हो सकता है। यदि आपको सहायता की ज़रूरत है तो इन नि:शुल्क सेवाओं को फोन करें:

- 1800 648 911 पर Transcultural Mental Health Line (अंतरसांस्कृतिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा) – सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच खुला है। उन क्लिनिशयनों (चिकित्सीय पेशेवरों) से बात करें जो आपकी संस्कृति को समझते हैं और आपकी भाषा में बात कर सकते हैं
- 13 11 14 पर Lifeline (लाइफलाइन) - संकटकालीन टेलीफोन सहायता के लिए 24 घंटे खुला है
- 1300 22 4636 पर Beyond Blue – संकटकालीन टेलीफोन सहायता के लिए 24 घंटे खुला है
- 1800 011 511 पर Mental Health Line (मानसिक स्वास्थ्य सेवा) – NSW Health की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आपको जोड़ने के लिए 24 घंटे खुला है।

और अधिक जानकारी

- सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु: health.nsw.gov.au/vad
- प्रशामक देखभाल: health.nsw.gov.au/palliativecare
- जीवन के अंतिम समय में देखभाल का आयोजक: nsw.gov.au/planning-for-end-of-life

November 2023 © NSW Ministry of Health